फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री हेमेन्द्रसिंह **विपक्षी : श्री विजयसिंह**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 03/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 08.12.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1/1 से 1/6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। विपक्षी सं. 1/1 से 1/6 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 4551, 4552, 4553, 4554 में आने जाने के लिए विपक्षी सं. 1/1 से 1/6 के पिता स्व. विजयसिंह की आराजी नम्बर 4544 में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 4544 में से 0.0504 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी डीएलसी दर 3,11,902/– प्रति बीघा के हिसाब से रास्ते की राशि 97,076/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में विपक्षी सं. 1/1 से 1/6 के पिता स्व. विजयसिंह के नाम पर दर्ज हैं। इस प्रकार नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 4551, 4552, 4553, 4554 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1/1 से 1/6 की आ.न. 4544 मे से 0.0504 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 20 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 3,11,902/– अक्षरे तीन लाख ग्यारह हजार नौ सौ दौ रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0504 हेक्टेयर की कुल कीमत 97,076/– रूपये बनती है, जिसका दुगुना 1,94,152/– रूपयें एक लाख चौरानवे हजार एक सौ बावन रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सं. 1/1 से 1/6 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1/1 से 1/6 को भूगतान के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.16 13:10:46 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली